



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक-1338

/ 12-1 : देहरादून: दिनांक: 26

दिसम्बर, 2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के०),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बनलेख से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रामदत्त जोशी के घर मोटर मार्ग व
निर्माण हेतु 1.687 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव
संख्या-FP/UK/ROAD/15675/2015)

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक सं० 08बी/यू०सी०पी०/06/124/2016/ 2167 दिनांक 27.01.2021।
महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित
प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन
आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, अल्मोड़ा की पत्र संख्या-1279/12-1(2) दिनांक 17.11.2023 (प्रति संलग्न) एवं प्रभागीय
वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर की पत्र संख्या 1860/12-1-2 दिनांक 07.11.2023 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध
करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :-

क० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी- प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:-	
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.375 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम बदियाकोट, खसरा संख्या 2 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे।		वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.375 है० सिविल सोयम भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।
ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि में हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।		प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 3.375 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम बदियाकोट को जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं० 1694/छब्बीस-11 वन/2020-21 दिनांक 09.06.2021 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। (संलग्नक:-01)

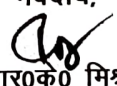
वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (प्रमाण पत्र संलग्न-2)।
4 प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रु0 11,37,996.00 (ग्यारह लाख सैंतीस हजार नौ सौ छियानब्बे) मात्र जमा कर दी गयी है। ऑनलाईन जमा की गई धनराशि के चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक:-03)
5 शुद्ध वर्तमान मूल्य:-	
(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में 1A नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.687 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में 1A नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रु0 11,08,359.00 (ग्यारह लाख आठ हजार तीन सौ उनसठ मात्र) 1.687 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-03 के अनुसार)
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्न-4)
6 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 150 trees होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रभावित होने वाले वृक्षों संख्या प्रस्ताव के अनुसार 150 trees न्यूनतम वृक्षों के पातन हेतु सहमत है।
7 परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित/जमा किया गया है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
8 गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह

	तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी के कम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत हैं (शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।)
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (संलग्न-5)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों का संख्या बढ़ाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (संलग्न-6)
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति तो प्राप्त करेगा जिसके अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी, इस हेतु

		प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

 (आर0के0 मिश्र)
 अपर प्रमुख वन संरक्षक,
 एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
 उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या- 1338 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।


 (आर0के0 मिश्र)
 अपर प्रमुख वन संरक्षक,
 एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
 उत्तराखण्ड देहरादून।



कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1279 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 17-11-2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- बागेश्वर के अन्तर्गत बनलेख से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रामदत्त जोशी के घर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.687 हे० वनभूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/15675/2015।

संदर्भ:- भारत सरकार की पत्र सं० 08B/UCP/06/124/2016/FC/2167 दिनांक 27.01.2021।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 1860/12-1 (2) दिनांक 07.11.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

भवदीय

(पी०के० पात्रो)

पंजी० सं० 2286 मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
पत्रावली 12-1 उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा
दिनांक 22-11-23

सं. अ. प्रभागी बागेश्वर
आ. का. के. ,

22-11-23

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं०:- 05963-220249 फैक्स नं०:- 05963-220209

पत्रांक 1860 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 07/11/2023
सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बनलेख से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रामदत्त जोशी के घर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.687 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/15675/2015)

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/१२४/२०१६/२१६७ दिनांक २७.०१.२०२१।

महोदय,

भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :-

क्र० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी- प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:-	
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.375 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम बदियाकोट, खसरा संख्या 2 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे।		प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.375 है० सिविल सोयम भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।
ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि में हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व भारक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।		क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 3.375 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम बदियाकोट को जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं० 1694/छवीस-११ वन/२०२०-२१ दिनांक ०९.०६.२०२१ द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। (संलग्नक:-०१)
ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।		उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (प्रमाण पत्र संलग्न-२)।

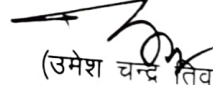
4 प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रु0 11,37,996.00 (ग्यारह लाख सैंतीस हजार नौ सौ छियानब्बे) मात्र जमा कर दी गयी है। ऑनलाईन जमा की गई धनराशि के चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक:-02)
5 शुद्ध वर्तमान मूल्य:- (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003 एवं 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.687 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003 एवं 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रु0 11,08,359.00 (ग्यारह लाख आठ हजार तीन सौ उनसठ मात्र) 1.687 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा करा दिया गया है।
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्न-4)
6 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 150 trees होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के संरक्ष पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रभावित होने वाले वृक्षों संख्या प्रस्ताव के अनुसार 150 trees न्यूनतम वृक्षों के पातन हेतु सहमत है।
7 परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित/जमा किया गया है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
8 गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी के कम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है (शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।)
एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत

	सुनिश्चित किया जाएगा।	है। (संलग्न-5)
	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीच पौधों का संख्या बढ़ाएगा।	आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (संलग्न-6)
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति तो प्राप्त करेगा जिसके अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्याध्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्याध्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

	से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

संलग्न-चार प्रतियों में

भवदीय,


(उमेश चन्द्र तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail : eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (0)

पत्रांक 2315 / 2ई0

दिनांक 30 / 10 / 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषय:-

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बनलेख से स्वतंत्रता सेनानी श्री रामदत्त जोशी के घर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.687 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।(FP/UK/ROAD/15675/2015)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/124/2016/2167 दिनांक 07.01.2021

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बनलेख से स्वतंत्रता सेनानी श्री रामदत्त जोशी के घर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.687 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है:-

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली गयी है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
प्रतिपूरक वनीकरण:-		
3	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.375 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम बदियाकोट, खसरा संख्या 2 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रुपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तवों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात्	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.375 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम बदियाकोट, खसरा संख्या 2 में प्रतिपूरक वनीकरण वन विभाग द्वारा किया जाएगा एवं स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि नहीं की जायेगी। उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है (प्रमाण पत्र संलग्न-01)

	भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याषित लागत वृद्धि उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा कर दी गयी है।
	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
5	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP© संख्या 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.08.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्राल द्वारा पत्राक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.687 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP© संख्या 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.08.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्राल द्वारा पत्राक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.687 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (प्रमाण पत्र संलग्न-02)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों संख्या प्रस्ताव के अनुसार 150 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों संख्या प्रस्ताव के अनुसार 150 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा कर दी जायेगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जायेंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। (पत्र संलग्न-03)

8	गाईडलाईन्स के दिए गए दिशा-निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	गाईडलाईन्स के दिए गए दिशा-निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है। पत्र संलग्न
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचोंबीच पौधों की संख्या बढ़ायेगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (प्रमाण पत्र संलग्न-04)
11	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन लाइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन लाइनेज लगा दिये गये हैं।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	वनभूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरी को राज्यीय वन विभाग अथवा वन अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरी को राज्यीय वन विभाग अथवा वन अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया गया है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन कर दिया जायेगा।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।
18	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया गया है।

19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की गयी है।
20	इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होने पर प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्रयोक्ता एजेंसी ले ली जायेगी।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है।

संलग्न-चार प्रतियों में।

भवदीय,
 30/10/23
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
 जयपुरकोट